संख्या 29 / V-आ0 2008 85(आ0)/04

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-- अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून / गंगोत्री / नैनीताल।

2-- उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
हरिद्वार / देहरादून।

3-- वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून

आवास विभाग — देहरादून, दिनांक 8 फरवरी, 2008

विषय : गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मी0 तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं--2810 / 9-आ--1--98 दिनांक 23-9--98, शासनादेश संख्या 320 / 9-आ-3-2000-127कैम्प / 99 दिनांक 05-2-02 एवं शासनादेश संख्या-124 / सी0एम0-(1) / 9-आ-3-2000-127कैम्प / 99 दिनांक 31-7-2000 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न शासनादेशों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किये गये [illegible] का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2000

विषय:- गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी0 तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-320/9-आ-3-2000-127 का०म०/99, दिनांक 05 फरवरी, 2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी तट के किनारे 200 मी0 तक लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों की पृष्ठभूमि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने की है दूसरी ओर यह भी सत्य है कि वाराणसी व हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल गंगा के तट पर है और यहाँ गंगा नदी तथा उसके तट पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए मठ एवं आश्रम यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े इन भवनों, जो सार्वजनिक सुविधाओं का ही एक भाग है, को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाना उपयुक्त न होगा परन्तु गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए भी समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2000 द्वारा पूर्व में किये गये शिथिलीकरण के स्थान पर यह निर्णय लिया गया है कि गंगा नदी के किनारे ऐसे स्थानों का जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, जहाँ का स्वरूप प्रमुखतः तीर्थ है, वहाँ पर मठ-, आश्रम- मन्दिर का निर्माण कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य कर दिया जाय। यह शर्तें निम्नवत होंगी:--

(1) भू-आच्छादन 35% तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०) 1.5 सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरूप ही अनुमन्य हो।

(2) [illegible] की [illegible] के [illegible] के साथ एक योजना प्रस्तुत करनी होगी जिससे [illegible] की [illegible] नदी का प्रदूषण नहीं होगा।

(3) [illegible] नदी में [illegible] नहीं किया जायेगा बल्कि अन्य [illegible] नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।

(4) [illegible] क्षेत्र में [illegible] व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/[illegible] [illegible] में [illegible] नदी की [illegible] ताकि नदी में मल [illegible] न जाने पाये। [illegible] प्रकार

(5) यह [illegible] संस्था अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार न पाये जाने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक, 15 जनवरी, 2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-124 [illegible]/9-आ-3-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य [illegible] (मा0) [illegible], उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

(2) सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) उपाध्यक्ष, समस्त विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(जावेद [illegible])
उप सचिव।

कार्यालय, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक [illegible]/2000-01 दिनांक [illegible] सितम्बर 2000

कार्यालय आदेश

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश सं0-124, दिनांक 31 मई 2000 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

[illegible]

प्रतिलिपि: नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता/सं0वि0एवं लेखाधिकारी/[illegible]/समस्त सहा0अभि0 समस्त अवर अभियन्ता/संबंधित लिपिक/[illegible]/गार्ड फाइल को हेतु।

[illegible]

(6) 38/25

संख्या-320/9-आ-3-2000-12/ [illegible]/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(2) आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2000

विषय: गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किए जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2010/9-आ-1-98, दिनांक [illegible] सितम्बर, 1998 एवं शासनादेश संख्या-4503/9-आ-1-98, दिनांक 16 [illegible] 1998 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों के प्रस्तर-2 में गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने का प्रतिबन्ध लगाया गया था । शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ शिथिल कर दिया जाय :-

(1) हरित पट्टी के अनुरूप भूखण्ड के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा । एफ०ए०आर० 15 प्रतिशत से अधिक न होना चाहिए। यदि महायोजना में इससे कम प्रस्तावित है, तो उतना ही [illegible]

(2) ड्रेनेज सीधे गंगा नदी में नहीं अनुमन्य किया जायेगा, वरन् अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जानी होगी ।

(3) यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है तो [illegible] इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं [illegible] ताकि गंगा नदी में [illegible] जाने पाये ।

......2/-

उपर्युक्त सुविधा, शासनादेश दिनांक 23-9-1998 एवं दिनांक 16-11-1998 ... सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव ।

संख्या-320(1)/9-आ-3-2000-127 का0मु/99 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।

(2) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग ।

(3) उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(आनन्द वर्धमान)
उप सचिव ।

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांक: 379 /गार्ड फाइल/2000-2001 दिनांक 15-5-2000

उपरोक्त वर्णित शासनादेश सं0-320/9-आ-3/2000-127का0मु/99 दिनांक 5-2-2000 की फोटो प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- नगर नियोजक/अधिशासी अभियंता/सहायक नगर नियोजक/समस्त अभियंतागण/मानचित्र अनुभाग/समस्त वाद लिपिक।

ह0/(अपठित)
सचिव

Annexure 7

संख्या: 2010/9-आ-1-98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 1998

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या: 21552/97 के संदर्भ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए नव विकसित कालोनियों में सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, नवविकसित कालोनियों के "ले-आउट प्लान" के अनुमोदन के पूर्व कालोनी के सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सीवेज/ड्रेनेज उचित ट्रीटमेन्ट के पश्चात ही नदियों में छोड़ा जाय। इस कार्य हेतु "सीवेज" का "मास्टर प्लान" जल निगम, प्राधिकरण के परामर्श व उनकी आर्थिक सहायता से बनायेंगे।

2. इसके अतिरिक्त गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न की जायें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या: 2010/ /9आ-1-98, तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे जल निगम को तदनुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

[illegible]

Attested True Copy

NOTARY, Delhi